राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2020/ NS-21/1819 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक** 21/07/2020

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. अंतर्गत
06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी)में प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रितकिये जा रहे हैं।

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से ऐसे इच्छुक एवं उत्साही अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है, जो समुदाय को अपने घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए "6 माह के "सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस" प्रशिक्षण जुलाई–2020बैच में आवेदन करना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी जिनमें बीमारियों से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल हैं। वे अभ्यर्थी जो इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, वे उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय हेतु "मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर" के रूप में सेवाऐं देंगे एवं अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे–ए.एन.एम., एम.पी. डब्ल्यू. एवं मितानिन की टीम का भी नेतृत्व करेंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर –उप स्वास्थ्य केन्द्रों में काउंसिलिंग के माध्यम से संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के नियमानुसार की जायेगी।

1. **चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाऐं –**

   1.1 प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10000 रू. प्रतिमाह के दर से कुल 06 माह हेतु मानदेय रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा।

   1.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की फीस, फिल्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्च दिया जाएगा।

   1.3 06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स ईन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रतिमाह 16,500 रू. वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य–प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम 15000 रू. तक दी जायेगी तथा इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

2. **अनिवार्य योग्यता :–**

   2.1 अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। विज्ञापित जिलेवार पदों हेतु संबंधित जिले के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। जिले के स्थानीय निवासी नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित संभाग के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर चयनित किया जावेगा।

क्रमशः 02

2.2 अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता एवं ज्ञान हो।

2.3 किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग कोर्स– बी.एस.सी. (नर्सिंग), पोस्टबेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग), एवं जी.एन.एम. में उत्तीर्ण हो।

2.4 अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

2.5 अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष)

3. नियम एवं शर्तें :–

3.1 **प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उपस्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम 3 वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य होगा।**

3.2 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण स्थल चयन करने उपरांत प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं लिये जाने पर IGNOU द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क रू. 15,000/– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में जमा किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबंध के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3.3 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत कार्यालय द्वारा पदस्थापना हेतु जारी आदेश के पदस्थापना स्थल में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का कोई आवेदन मान्य नहीं होगा। आदेशित स्थल पर ही अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कर अपनी सेवा देनी होगी।

3.4 शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा काउंसिलिंग के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.5 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी। साथ ही इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम भी लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.6 उक्त पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (नर्सिंग), पोस्टबेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग), एवं जी.एन.एम. में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सामान्य मेरिट सूची से किया जावेगा तथा बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथावा पोस्टबेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।

3.7 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस की भर्ती जिला स्तर पर की जावेगी, जिसमें आरक्षण का रोस्टर भी जिला स्तर का ही लागू होगा।

3.8 वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश, कौशल परीक्षा, एवं काउंसिलिग का आयोजन नहीं किया जायेगा।

क्रमशः 03

4. भर्ती किये जाने वाले पदों की जिलेवार/आरक्षण रोस्टरवार तालिका निम्नानुसार है :–

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम में भर्ती हेतु जिलेवार रोस्टर अनुसार सीटों का विवरण					
जिला	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
बालोद	5	3	1	1	**10**
बलौदा बाजार	15	3	6	5	**29**
बलरामपुर	8	27	2	6	**43**
बस्तर	14	36	1	8	**59**
बेमेतरा	2	1	1	1	**5**
बीजापुर	2	20	2	4	**28**
बिलासपुर	27	13	9	8	**57**
दंतेवाड़ा	2	21	1	4	**28**
धमतरी	3	1	0	1	**5**
दुर्ग	1	1	0	1	**3**
गरियाबंद	10	9	3	3	**25**
जांजगीर–चाम्पा	20	5	9	6	**40**
जशपुर	7	24	2	5	**38**
कांकेर	13	24	2	6	**45**
कवर्धा	16	6	4	4	**30**
कोण्डागांव	4	22	1	5	**32**
कोरबा	17	21	5	7	**50**
कोरिया	10	13	3	4	**30**
महासमुंद	14	8	4	4	**30**
मुंगेली	15	3	8	4	**30**
नारायणपुर	1	8	0	2	**11**
रायगढ़	20	16	7	7	**50**
रायपुर	2	1	1	1	**5**
राजनांदगांव	19	11	4	6	**40**
सुकमा	1	13	0	1	**15**
सूरजपुर	11	13	2	4	**30**
सरगुजा	8	18	2	4	**32**
कुल योग –	**267**	**341**	**80**	**112**	**800**

क्रमशः 04

3.9 माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीसन (सी) 591/2012 रिट पिटीसन (सी) 592/2012, रिट पिटीसन (सी) 593/2012, रिट पिटीसन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों के वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

5. **आवेदन की प्रक्रिया :-**

5.1 विभागीय वेबसाइट**www.cghealth.nic.in**पर ऑनलाईन आवेदन **दिनांक**21/09/2020 से 24/09/2020 रात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अन्य निर्देश/आदेश/जानकारी भी उक्त वेबसाईट में दी जावेगी।

5.2 **पूर्व में जारी विज्ञापन क्र./एनएचएम/एचआर/2020/ एनएस-27/66 दिनांक 26.05.2020 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया है वे सभी पात्रता अनुसार मान्य होंगे। उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

5.3 उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना होगा। आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा।

5.4 ऑनलाईन भरे हुये आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिये उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये भी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कृपया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता/सावधानी बरतें।

5.5 **सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता (उदा.-जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु तीनों वर्षों में प्राप्त कुल अंक एवं इंटर्नशीप में प्राप्त कुल अंक को सम्मिलित कर एग्रीगेट अंक तथा बी.एस.सी.-नर्सिंग/पोस्ट बेसिक के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्रीगेट अंक ऑनलाईन आवेदन में भरा जावे।) के अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी।**

उदाहरण के लिये जी.एन.एम. पठ्यक्रम हेतु तीनों वर्षों में प्राप्त कुल अंक एवं पूर्णांक -

Name of course	1st Year		2nd Year		3rd Year		Internship		Total		Percentage
	Obt.	Total	Obt.	Total	Obt.	Total	Obt.	Total	Obt. (2+4+6+8)	Total (3+5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GNM	358	500	495	700	265	400	157	200	1275	1800	70.83

6. **नोट :-**

6.1 केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें।

6.2 अभ्यर्थियों हेतु दावा-आपत्ति एवं मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट **cghealth.nic.in** पर जारी की जायेगी एवं इसके अलावा कोई अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जायेगा।

6.3 प्राप्तांकों के अधार पर मेरिट एवं सीटों की आरक्षणवार संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम हेतु जिलेवार चयन किया जायेगा।

6.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति, 2018 के अनुसार कुल पदों का तीन गुना, जिलेवार आवेदक ही प्रावीण्यता के आधार पर काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किये जायेगें।

क्रमशः 05

6.5 प्रशिक्षण केन्द्र/ProgrammeStudy Centre–मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायगढ़, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, जिला अस्पताल धमतरी, जिला अस्पताल बीजापुर, जिला अस्पताल कांकेर, जिला अस्पताल कोरबा, जिला अस्पताल महासमुंद, जिला अस्पताल बिलासपुर, जिला अस्पताल रायपुर, जिला अस्पताल दुर्ग, जिला अस्पताल जशपुर एवं जिला अस्पताल सूरजपुर में प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जावेगा।

6.6 वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण की स्थिति एवं समय के अभाव के कारण प्रशिक्षण स्थल चयन हेतु काउंसिलिंग का आयोजन नही किया जावेगा । चयनित अभ्यर्थियों के संवर्गवार, जिलेवार, मेरिट सूची के आधार पर संबंधित संभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु सीटों की उपलब्धता अनुसार सीट आबंटन किया जावेगा, जिसके संबंध में अंतिम निर्णय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. का होगा।

6.7 समान अंक होने की अवस्था में अधिक उम्र के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

6.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

6.9 ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने स्वयं का वैध मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पता ऑनलाईन आवेदन में भरें तथा इसे सुरक्षित एवं चालू रखें, जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क/पत्राचार किया जा सके।**साईबर कैफे अथवा किसी कम्प्यूटर सेंटर से ऑनलाईन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. ही आवेदन में भरें।**

6.10 अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

6.11 किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

6.12 ऑनलाईन आवेदन से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालयीन दूरभाष नंबर **0771–255288** एवं **7587856100** पर कार्यालयीन दिन एवं समय प्रातः 10:30 से सायं 05:00 के मध्य संपर्क कर सकते हैं।

6.13 **उक्त विज्ञापन के संबंध में दावा–आपत्ति, प्रावीण्य सूची, मेरिट सूची व अन्य सूचना हेतु निरंतर विभागीय वेबसाईट cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना नहीं भेजी जावेगी।**

(मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा अनुमोदित)

21/09/2020

उपसंचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़